अज अदालत — उप खण्ड अधिकारी मुकाम सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी— राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 61 / 2021 रेवेन्यु   दायर दिनांक 08 / 07 / 2021

निर्णय दिनांक 16 / 07 / 2024

1. श्री कैलाश चन्द पिता हरिशचन्द्र जी रोत मीणा उम्र 40 साल निवासी धर्मपुरी कंपाकुण्डली पटवारी हल्का नागरिया पंचेला तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर (राज.)
2. श्रीमति शान्ति बेवा पत्नि हरिशचन्द्र जी रोत मीणा निवासी धर्मपुरी कंपाकुण्डली पटवारी हल्का नागरिया पंचेला तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
3. श्री अशोक कुमार पिता हरिशचन्द्र जी रोत मीणा उम्र 32 वर्ष निवासी सुराता पटवारी हल्का सुराता तहसील झोंथरी जिला डूँगरपुर (राज.)

—— वादीगण

बनाम

1. श्री मणीलाल पिता हकरा जी रोत मीणा उम्र 55 वर्ष
2. श्रीमति मीरां पत्नि मणीलाल रोत मीणा उम्र 50 वर्ष निवासीयान कंपा कुण्डली धर्मपुरी पटवार हल्का नागरिया पंचेला तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
3. श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर(राज.)

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा दवामी एवं अतिक्रमण हटाए जाने अन्तर्गत धारा 188 / 183 / 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थित —

वादीगण की ओर से — श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट

प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 की ओर से — श्री विरेन्द्रसिंह चोहान, भंवरलाल डामोर

प्रतिवादी नं. 3 की ओर से — पेरोकार सरकार

निर्णय

वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 188 / 183 / 209 रा.टी.एक्ट बावत स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने एवं अतिक्रमण हटाए जाने का इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कंपाकुण्डली प.ह. घुवेड तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.) की खतोनी संवत 2072 से 2075 के खाता नं. 9 नया एवं पुराना 11 के वादीगण के संयुक्त खाते के खसरा नम्बर 41 नामी रोहनवाली मगरी किस्म सुखी तृतीय रकबा 4–07 चार बीघा सात बिस्वा एवं खरारा नं. 96 रकबा 1–03 एक बीघा तीन बिस्वा किस्म राकड प्र. लगानी 0–23 कुल खरारा 2 कुल रकबा 5–02 बीघा लगानी 1–97 की स्थित है । जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते हुए आ रहे हैं ।

कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के खाते कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 96 रकबा 1–03 एक बीघा तीन बिस्वा के पास स्थित बिलानाम आराजी पर अतिक्रमण कर मकान निर्मित किया हुवा है इस लिए प्रतिवादीगण वादीगण के खाते की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नं. 96 की सीमाऐं लांघ कर अतिक्रमण करने की चेष्टा करते हुए वादीगण को काश्त करने में व्यवधान पैदा करते रह कर फसली नुकसान पहूँचाते रहते हैं ।

वादीगण या उनके परिवार वालों ने अपने खाते की आराजी खसरा नं. 96 को किसी प्रकार से रहन बे बक्षीस से हस्तान्तरित नहीं किया है । प्रतिवादीगण का वादीगण के स्वतंत्र खाते की आराजी में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है और न ही उन्हे वादीगण के खाते कब्जे काश्त की आराजी में प्रवेश होकर किसी प्रकार का नुकसान पहूँचाने या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त है ।

कि वादीगण हर वर्ष की भांति वर्ष 2021 में भी वर्षा होने पर वादीगण एवं उनके परिवार वाले दिनांक 27206/2021 को अपने खाते के खसरा नम्बर 96 पर टेक्टर लेकर हंकाई बुवाई करने गए और हंकाई बुवाई कर रहे थे तो प्रतिवादीगण मां बहिन की गालियां देते हुए यह कहते हुए कि जमीन तुम्हे कमाने नहीं देगें हमलावर होकर आए और प्रतिवादीया नं. 2 टेक्टर के आगे सो गई और कहने लगी कि खाता तुम्हारा होकर जमीन तुम्हारी है तो क्या है हमारा मकान के पास में है इस लिए तुम्हे खेती नहीं करने देगें एसा कह कर टेक्टर से हंकाई करने में अवरोध पैदाकिया और प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान पैदा करने से वादीगण अपनी आराजी की बोवाई करने में कुछ हिस्सा जो प्रतिवादीगण के मकान की ओर एवं बिलानाम आराजी से सटकर है बोवाई नहीं कर पाये इस पर दिनांक 28/07/2021 को वापस हंकाई करने गए तो प्रतिवादीगण ने वादीगण के खसरा नं. 96 में प्रवेश होकर अनाधिकृत रूप से बची हुई भूमि को अंशिक रूप से हांक दिया । इस लिए वादीगण ने न्यायालय की शरण लेकर वाद प्रस्तुत किया ।

वादीगण की ओर से वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी ओर से वकील नियुक्त कर जवाब हेतु अवसर चाहा ।

प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने वर्ष 2021 से 28/03/2024 तक कई अवसर जवाब प्रस्तुत किये जाने दिये जा चुके लेकिन उनकी ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब बंद किया गया ।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नहीं करने से पत्रावली पर तनकीयात विचरित नहीं की जा सकी एवं पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण में 11/06/2024 नियत की गई । वादीगण की ओर से अपने वाद के समर्थन में वादी पीडब्ल्यु 1 कैलाशचन्द्र एवं गवाहान देवराम एवं कारीलाल के बयान पीडब्ल्यु 2 व 3 के रूप में बयान शपथपत्र पेश कर परिक्षित करवाए एवं वाद के समर्थन में खतोनी प्रदर्श 1 एवं नक्षा ट्रेस प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाते हुए अपनी साक्ष्य समाप्त किये जाने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 16/07/2024 को नियत की गई ।

नियत दिनांक पर प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहने से साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली पर बहस समाअत की गई ।

पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया जाकर प्रस्तुत साक्ष्य एवं खतोनी के आधार पर खसरा नं. 41 एवं 96 वादीगण के स्वतंत्र खाते की होना पाई जाती है । प्रतिवादीगण ने न तो अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया और न ही किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत की गई इस लिए वादीगण अपने वाद को साबित किये जाने में सफल रहे होने

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व डिक्री किये जाने योग्य होने से डिक्री किया जाता है ।

कियात्मक आदेश

वाद वादीगण के पक्ष में बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं वादीगण के खाते की आराजी को अतिकमण मुक्त कराये जाने स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 के विरूद्व निर्णय पारित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मोजा कंपाकुण्डली प.ह. घुवेड तहसील सीमलवाडा जिला डूॅंगरपुर (राज.) की खतोनी संवत 2072 से 2075 के खाता नं. 9 नया एवं पुराना 11 के वादीगण के संयुक्त खाते के खसरा नम्बर 41 नामी रोहनवाली मगरी किस्म सुखी तृतीय रकबा 4–07 चार बीघा सात बिस्वा एवं खसरा नं. 96 रकबा 1–03 एक बीघा तीन बिस्वा किस्म राकड प्र. लगानी 0–23 कुल खसरा 2 कुल रकबा 5–02 बीघा लगानी 1–97 की स्थित है में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से प्रवेश नहीं करें , वादीगण के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें , न ही किसी प्रकार का फसली नुकसान पहूॅंचावे एसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी परिवार के सदस्य, हितेषी, ठेकेदार, मजदुर आदि से ही करावें । तहसीलदार सीमलवाडा को आदेशित किया जाता है कि वादीगण के खाते कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 96 में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का अतिकमण होना पाया जाता है तो उन्हे बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करवाया जावे एवं किसी प्रकार का निर्माण किया हुवा पाया जाता है तो उसे विध्वंश कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करवाया जावे। एवं भविष्य में प्रतिवादीगण को वादीगण के आराजी में अतिकमण नहीं करने , वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करने बाबत पाबंद करवाया जावे।

निर्णयानुसार डिक्री जारी की जावे । खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 16/07/2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी,
सीमलवाडा

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 2 रूल 6 -- 7 जा. दी.)

(सिविल प्रोसिजर कोड एपिन्डिक्स ऐ)

अज अदालत -- **उप खण्ड अधिकारी मुकाम सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर (राज.)**

पीठासीन अधिकारी-- **राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्या 61 / 2021 रेवेन्यु

निर्णय दिनांक 16 / 07 / 2024

1. श्री कैलाश चन्द्र पिता हरिशचन्द्र जी रोत मीणा उम्र 40 साल निवासी धर्मपुरी कंपाकुण्डली पटवारी हल्का नागरिया पंचेला तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर (राज.)
2. श्रीमति शान्ति बेवा पत्नि हरिशचन्द्र जी रोत मीणा निवासी धर्मपुरी कंपाकुण्डली पटवारी हल्का नागरिया पंचेला तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर (राज.)
3. श्री अशोक कुमार पिता हरिशचन्द्र जी रोत मीणा उम्र 32 वर्ष निवासी सुराता पटवारी हल्का सुराता तहसील झोंथरी जिला डूँगरपुर (राज.)

--- वादीगण

बनाम

1. श्री मणीलाल पिता हकरा जी रोत मीणा उम्र 55 वर्ष
2. श्रीमति मीरां पत्नि मणीलाल रोत मीणा उम्र 50 वर्ष निवासीयान कंपा कुण्डली धर्मपुरी पटवार हल्का नागरिया पंचेला तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर (राज.)
3. श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार सीमलवाड़ा तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर (राज.)

--- प्रतिवादीगण

दावा बाबत जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा दवामी एवं अतिक्रमण हटाए जाने अन्तर्गत धारा 188 / 183 / 209 रा.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राकेश कुमार न्योल आरएएस** व हाजरी श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट मिन जानिब मुद्दई व प्रतिवादी नं. 1 से 2 की ओर से विरेन्द्रसिंह चोहान, भंवरलाल डामोर एवं प्रतिवादी नं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:--

वाद वादीगण के पक्ष में बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं वादीगण के खाते की आराजी को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 के विरूद्ध निर्णय पारित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मोजा कंपाकुण्डली प.ह. धुवेड़ तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर (राज.) की खतोनी संवत 2072 से 2075 के खाता नं. 9 नया एवं पुराना 11 के वादीगण के संयुक्त खाते के खसरा नम्बर 41

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा